न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पं0 कुण्डेर
(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 05/2016

निर्णय दिनांकः– 23.6.2016

उनवान

मूलचन्द पुत्र श्री भूरा जाति बैरवा निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक

2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन, वकील वादी

पेरोकार राज नायब तहसीलदार बनेठा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी साबिका ख0न0 1120/1 मे रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा व आराजी ख0न0 274/1/! मे रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल 8 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कुण्डेर भू आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 23.6.83 को वादी को आवंटित की गई थी,जिसका पट्टा भी वादी के नामजारी कर दिया गया था। उक्त वर्णित आराजी कमाण्ड क्षैत्र की थी, जिसकी कीमत 3307/– टी.आर.ए. रिपोर्ट अनुसार जमा होने थे। साबिका ख0न0 1120/1 से हाल ख0न0 1935 रकब 5.77 हे0 तथा ख0न0 274/1/1/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्व के हाल ख0न0 2120 रकबा 1.08 है0 बने है। उक्त वर्णित आराजीयात पर आज भी मौके पर वादी का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। वादी ने उक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध मे राशि जमा कराने बाबत कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु राशि जमा नही की गई। ख0न0 1935 व 2120 को सेटलमेन्ट वालों ने गलत रूप से सिंवायचक मे दर्ज कर दिया, जबकि मोके पर आज भी वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। आराजीयात साबिका ख0न0 1120/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा हाल ख0न0 1935 रकबा 5.77 व साबिका ख0न0 274/1/1/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0न0 2120 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा वादी की गैर खातेदारी मे दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे।

उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी मय वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बनेठा उपस्थित। नायब तहसीलदार बनेठा से जवाब लिया गया। उभय पक्षों को सुना गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल आवंटन आदेश दिनांक 23.6.83 के अनुसार भू आवंटन सलाहाकार समिति केम्प कुण्डेर दिनांक 23.6.83 को मूलचन्द पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी कुण्डेर को आराजी ख0न0 1120 मे 5 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 274/1/1 मे 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा आवंटन की गई है। भू प्रबन्ध विभाग नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त साबिक आराजी के निम्न प्रकार नवीन खसरा नम्बर कायम हुये है:-

साबिक		हाल	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
1120/1	–	1935	5.77
274/1/1/1	3 बीघा 4 बिस्वा	2120	1.08

नकल पी0 14 नकलो से वादग्रस्त आराजी पर वादी की काश्त का अंकन है। वादी ने दोराने केम्प कीमत भूमि राशि 3282/– व पट्टा फीस 25/– कुल 3307/– जरिये रसीद 0077005/03 दिनांक 23.6.16 द्वारा पटवारी हल्का को जमा करा दिये है, जिसकी प्रति शामिल पत्रावली है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब दावे मे अंकित किया है कि प्रकरण मे 14 (4) की कार्यवाही जैरकार नही है। आवंटनशुदा भूमि को गेरखातेदारी मे दर्ज करने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि वादी की आवंटित भूमि है तथा वादी के द्वारा कीमत भूमि की राशि भी राजकोष मे जमा करवाई गई है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। पेरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को वादी के गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजीयात को गेरखातेदार के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार की भावना के मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिक्री किया जाकर वादी को आराजीयात साबिका ख0न0 1120/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा हाल ख0न0 1935 रकबा 5.77 मे 5 बीघा 11 बिस्वा की हद तक तथा साबिका ख0न0 274/1/1/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0न0 2120 रकबा 1.08 है0 मे 3 बीघा 4 बिस्वा की हद तक वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.6.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

मूलचन्द पुत्र श्री भूरा जाति बैरवा निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादी

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री पी0सी0जैन, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार बनेठा

मुकदमा नम्बर :— 05 वर्ष 2016

वादी की ओर से श्री पी0सी0जैन वकील वादी व प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बनेठा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 23.6.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजीयात साबिका ख0न0 1120/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा हाल ख0न0 1935 रकबा 5.77 मे 5 बीघा 11 बिस्वा की हद तक तथा साबिका ख0न0 274/1/1/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0न0 2120 रकबा 1.08 है0 मे 3 बीघा 4 बिस्वा की हद तक वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 06 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner